



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.1452/Type Approval No.1452

मद/For Item : पावर सप्लाई यूनिट टाइप टीआईपीएस-210 /
Power Supply Unit Type TiPS-210

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स वी बी इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कंट्रोल्स, सं.1218, वेस्ट ऑफ चॉर्ड रोड, II स्टेज, बंगलोर - 560 086 द्वारा अभिकल्पित, विकसित और उत्पादित "पावर सप्लाई यूनिट" टाइप टीआईपीएस-210 को आरेखन सं.टीआईपीएस-210 इश्यू-शून्य दिनांक 10/10/2005, के अनुसार जगुआर वायुयान में फ्लुरोसेन्ट लैम्प को उपलब्ध कराने हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए(वायुयान) के समन्वय से नियंत्रक विनिर्देश सं.वीबी/पीएसयू/एसपीईसी/टीएस दिनांक 04/10/2005 और टेस्ट शेड्यूल सं.वीबी/पीसीयू/एसपीईसी/टीटीएस दिनांक 04/10/2005 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह उत्पाद परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Power Supply Unit" Type TiPS-210, designed, developed and manufactured by M/s V.B. Electronics & Controls, No.1218, West of Chord Road, II Stage, Bangalore-560 086, is hereby approved for production as per drawing No. TiPS-210 Issue-nil dt. 10/10/2005, to provide fluorescent lamps in the jaguar Aircraft. The product has been tested as per the governing specification No. VB/PSU/SPEC/TS dt. 04/10/2005 and Test Schedule No. VB/PSU/SPEC/TTS dt. 04/10/2005, in co-ordination with RCMA (Aircraft). The product has met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी होने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी भंग हो जाती है । इस उत्पाद के निर्माण के लिए अपनायी गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या का उल्लेख सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में किया जाना चाहिये ।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन **30 जून 2014** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन प्रतिसूचना को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ **आर सी एम ए (वायुयान)** से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2014 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft) for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी और निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक)**, बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes if any to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5 यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए निश्चित रूप से दर्शायी गई विधियों के अनुसरण और डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं पर आधारित है ।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1452

दिनांक/Date : 15th Sept 2009

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(पी एस देशमुख/P. S. DESHMUKH)
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg.Chief Executive (Airworthiness)


15/09/09